26.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं मौजूदा वित्त वर्ष में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए। इसमें फीस का भुगतान, वकीलों की फीस, लॉ कंपनियों के खर्च समेत कई अन्य खर्च शामिल हैं।

लोकसभा में राहुल ने पूछे 50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम

आरोप-प्रत्यारोप ▶ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर का जवाब, संप्रग के पाप ढो रही सरकार

वक्त खत्म होने के बाद भी दूसरा सवाल पूछना चाहते थे राहुल, स्पीकर ने नहीं दी अनुमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राहुल गांधी के सवालों के जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर। एएनआइ

लोकसभा में सवाल पूछते राहुल गांधी। एएनआइ

बैंक से ऋण लेकर भागने वालों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। सोमवार को राहुल ने फिर इसे जिंदा कर दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राहुल ने तंज भरे लहजे में वित्त मंत्रालय से देश के बैंकों से कर्ज लेकर उसे जान बूझकर नहीं लौटाने वाले (विलफुल डिफॉल्टर्स) शीर्ष 50 ग्राहकों के नाम सार्वजनिक करने संबंधी सवाल पूछा। जवाब उसी लहजे में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया और याद दिलाया कि संप्रग काल के पापों का बोझ ढो रही है राजग सरकार। खैर, हंगामे का कारण यह बना कि राहुल दूसरा अनुपूरक सवाल नहीं पूछ पाए।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 'जीरो आवर' का हवाला देकर इसकी इजाजत नहीं दी। कांग्रेस सांसदों ने इसके विरोध में सदन के भीतर खूब नारेबाजी की। सदन के बाहर राहुल गांधी ने स्पीकर पर आरोप जड़ा कि उन्होंने जान बूझकर दूसरा सवाल नहीं पूछने दिया। हालांकि यह सदन की परंपरा रही है कि 12 बजे के बाद जीरो आवर शुरू होता है। संसद में ऐसे भी मामले आए हैं जब प्रश्नकर्ता के सवाल पूछते-पूछते 12 बज जाते हैं और स्पीकर यह कहकर जीरो आवर शुरू करते हैं कि मंत्री इसका लिखित जवाब प्रश्नकर्ता सांसद को भेज दें।

राहुल ने बताया कि बतौर सांसद दूसरा सवाल पूछना उनका हक था जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने छीन लिया। इस बात का उनको बहुत ही दुख है। इस पर वित्त राज्यमंत्री ठाकुर का कहना है, 'कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चाहते हैं कि उनके साथ दूसरे सांसदों से अलग व्यवहार किया जाए। जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका लिखित जवाब भी दे दिया गया था, लेकिन उनकी मंशा इस मुद्दे पर हंगामा करने की ज्यादा थी।' उन्होंने यह भी कहा कि राहुल ने बाहर आकर 500 बैंक ग्राहकों के बारे में सूचना मांगने की बात कही जबकि सदन में उन्होंने सिर्फ 50 खाताधारकों के बारे में सवाल पूछा था।

दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान अंतिम सवाल राहुल का था। राहुल ने लिखित में कुल छह सवाल पूछे थे जिसमें वह बैंकवार सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम जानना चाहते थे। इनके नाम के साथ ही इन ग्राहकों पर बकाया राशि, बैंकों की तरफ से माफ की गई राशि, इनसे वापस हुई कर्ज की राशि के साथ ही बैंक फ्रॉड रोकने के लिए बैंक खाताधारकों की सूचना एकत्रित करने संबंधी जानकारी मांगी गई थी।

कांग्रेस सांसदों को पहले तो यह बात ही नागवार गुजरी कि उनके पूर्व अध्यक्ष के सवाल का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मौजूद होने के बावजूद नहीं दे रही हैं बल्कि वित्त राज्यमंत्री ठाकुर दे रहे हैं। ठाकुर ने भी मौजूदा फंसे कर्जे की समस्या के लिए पूर्व की संप्रग सरकार के कार्यकाल (2009-2014) में आंख मूंदकर बांटे गए कर्जे को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि किस तरह से इस सरकार के कार्यकाल में बैंकों की स्थिति सुधारने व पुराने कर्जे की वापसी की कोशिश हो रही है। ठाकुर ने यहां तक कहा कि यह सरकार कांग्रेस के पापों को ढो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों के विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम पहले से ही सार्वजनिक हैं और विभिन्न वेबसाइटों पर उन्हें देखा जा सकता है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया है कि बैंकों का एनपीए 31 मार्च, 2018 को 10,36,187 करोड़ रुपये का था जो 31 दिसंबर, 2019 को घटकर 9,58,156 करोड़ रुपये रह गया है। पिछले चार वर्षों में 5,12,647 करोड़ रुपये का एनपीए वसूला भी गया है।

आंध्र प्रदेश ने स्थानीय चुनाव स्थगित करने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को छह हफ्ते के लिए स्थगित किए जाने संबंधी राज्य चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चुनौती दी है। इस मामले में एक निजी याचिका भी दाखिल की गई है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 21 व 23 मार्च को होने थे।

सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका पर मंगलवार को विचार कर सकता है। कोर्ट ने निजी याचिका को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया, क्योंकि ऐसी ही एक और याचिका विचाराधीन है।

राज्य चुनाव आयुक्त एन. रमेश कुमार ने राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें कोरोना वायरस के कारण चुनावों को स्थगित करने संबंधी निर्णय से अवगत कराया। मुख्य आयुक्त नीलम एस. ने आयोग को पत्र लिखकर चुनावों को स्थगित करने संबंधी फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रित है। विपक्षी दलों ने चुनावों को स्थगित करने की मांग की थी। अब जबकि चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, आरोप है कि सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं।

संसद प्रश्नोत्तर

छोटे-छोटे कदमों से बड़ा बदलाव ला रही सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पर्यटन सहित समाज के पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के अपने प्रयासों को सरकार ने सोमवार को लोकसभा में साझा किया। सरकार ने बताया कि कैसे छोटे-छोटे कदमों से वह बड़ा बदलाव ला रही है और समाज को जोड़ रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि सरकार बुजुर्गों के लिए शुरू की गई वयोश्री योजना के तहत छड़ी या चश्मा जैसे उपयोगी चीजें देकर कैसे उनकी मदद कर रही है। केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भी बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार सही दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि बौद्ध स्मारकों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाने से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिली है, जबकि इस पर खर्च सिर्फ नाम मात्र का आया। पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय पर्यटन का ब्रांड एंबेसडर बताया।

गहलोत सोमवार को लोकसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी बजट अनुदान मांगों पर बोल रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही नशा मुक्ति, भिखारियों के पुनर्वास सहित एससी-एसटी छात्रवृत्ति जैसे योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने चर्चा में विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रत्येक सवाल का जवाब भी दिया। साथ यह भी साफ किया कि छात्रवृत्ति को लेकर किसी भी राज्य का अब कोई बकाया केंद्र पर नहीं है। उन्होंने सभी पुरानी देनदारियों को चुका दिया है। हालांकि, इस दौरान उनका सबसे ज्यादा फोकस बुजुर्गों के लिए किए जा रहे कामों पर था। उन्होंने बताया कि वह देश के सक्रिय बुजुर्गों के लिए भी नई नीति ला रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर फिसड्डी बताया। लोकसभा में पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर भी लंबी चर्चा हुई।

280 यूटीलिटी प्रोजेक्टों को अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश भर में संरक्षित स्मारकों के समीप 280 से ज्यादा यूटीलिटी प्रोजेक्टों को अनुमति दी गई है। पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि ऐसे स्मारकों के समीप निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध से संबंधित कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

पिछले तीन साल के दौरान केंद्र संरक्षित स्थलों से चोरी की दो घटनाएं : एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में पटेल ने लोकसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में केंद्र संरक्षित स्मारकों में चोरी की दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन चोरी गई चीजें बरामद की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चोरी की दोनों घटनाएं पुरातात्विक महत्व के स्थलों में पिछले तीन साल के दौरान हुईं।

पांच पुरातात्विक स्थलों को बनाया जाएगा प्रतिष्ठित स्थल : एक सवाल के लिखित उत्तर में पटेल ने कहा, हस्तिनापुर समेत पांच पुरातात्विक स्थलों को प्रतिष्ठित स्थल में विकसित किया जाएगा। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार इन स्थलों में राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), ढोलाविरा (गुजरात) और दिचनल्लुर (तमिलनाडु) शामिल हैं।

14 संरक्षित स्मारक हो रहे हैं रक्षा, अन्य काम में इस्तेमाल : पटेल ने एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि वर्तमान में 14 संरक्षित स्मारक रक्षा एवं अन्य काम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

एमएससी गणित के छात्र को मिली स्वीपर की नौकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : एमएससी गणित के एक छात्र को मद्रास म्यूनिसिपल कारपोरेशन में स्वीपर की नौकरी मिली है। द्रमुक के लोकसभा सदस्य ए. राजा ने सोमवार को बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सरकार की विफलता पर यह जानकारी दी। प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक नेता ने यह भी उल्लेख किया कि मैकेनिकल इंजीनियर और एमबीए डिग्री धारक को रेलवे में खलासी की नौकरी मिलती है। खलासी सामान्य तौर पर सहायक होता है। विपक्ष के कई सदस्यों ने देश में बेरोजगारी की स्थिति पर पूरक प्रश्न पूछे। सदन में पंजीकृत बेरोजगारों पर सवाल पूछे गए। राजा ने कहा कि बेरोजगारी 45 वर्षों के शिखर पर है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। बेरोजगारी से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सशस्त्र बलों में कानूनी विवाद हुए कम : नाइक

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को बताया है कि सशस्त्र बलों में प्रोन्नति, पेंशन और सेवा मामलों के विवादों को कम करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। इसीलिए ऐसे जो मामले में वर्ष 2014 में 868 थे, वह वर्ष 2019 में महज 49 मामलों तक सिमट गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल में सोमवार को एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा राज्यमंत्री नाइक ने बताया कि सरकार इस तरह से सशस्त्र बलों के विवादों का समाधान कर रही है कि किसी के भी साथ अन्याय न हो। हालांकि अपील वाले मुकदमे कम करने की दिशा में दबाव अधिक है। उन्होंने बताया कि अपील से पहले हम पूरे मामले की जांच करते हैं ताकि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इससे फैसले की गलत व्याख्या नहीं होगी। इस दिशा में उठाए गए कदमों के ही कारण अपीलों में खासी कमी आई है।

एसवाईएल नहर पर बीच का रास्ता नहीं निकाल रहे पंजाब व हरियाणा : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद के निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहते हैं। केंद्र ने राज्यसभा में सोमवार को बताया कि दोनों राज्यों के इस रुख से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'एसवाईएल नहर विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने केंद्र से पंजाब व हरियाणा के साथ बात करके एसवाईएल नहर विवाद को निपटाने के लिए कहा था। केंद्र ने दोनों राज्यों से इस मुद्दे पर बात की, लेकिन वे इसके निपटारे के लिए बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं हैं।' मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों से हुई बात में निकले निष्कर्ष के बारे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित तौर पर अवगत करा दिया है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी पंजाब व हरियाणा को एसवाईएल नहर विवाद को खत्म करने का निर्देश दे चुका है। यह विवाद दशकों के कायम है, क्योंकि पंजाब अपने हिस्से का पानी हरियाणा के साथ साझा करने को तैयार नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने एसवाईएल नहर के निर्माण का निर्देश दिया था, जिससे सतलुज और यमुना को जोड़कर उसका पानी दक्षिणी हरियाणा तक पहुंचाया जा सके।

गालिब को भारत रत्न देने की उठी मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : हिंदुस्तानी शायरी के बेताज बादशाह मिर्जा गालिब को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग राज्यसभा में की गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने केंद्र सरकार से गालिब को मरणोपरांत भारत रत्न देने की यह मांग उठाई। तृणमूल की इस मांग का समाजवादी पार्टी व कांग्रेस समेत कुछ और दलों के सदस्यों ने समर्थन किया।

राज्यसभा में तृणमूल सांसद नदीम उल हक ने शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाते हुए कहा कि गालिब भले ही उम्र के आगरा में पैदा हुए मगर उनकी लोकप्रियता सीमाओं से परे थी। महज 11 साल की उम्र में शायरी शुरू करने वाले गालिब ने अपनी शायरी के जरिये जिंदगी के दर्शन को एक नई दृष्टि दी। भले गालिब को दुनिया छोड़े 150 साल बीत चुके हैं मगर अब तक उनकी शायरी मौजू रही है। हक के इस नजरिये का सपा सांसद अभिनेत्री जया बच्चन ने भी हाथ उठाकर समर्थन किया।

लोकसभा में पारित हो गया विनियोग विधेयक

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को मंजूरी देने के साथ ही 2020-21 के लिए संचित निधि से सरकार को राशि निकासी का अधिकार देने वाले विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी। इस बिल में सरकार को उसके कामकाज और कार्यक्रमों तथा योजनाओं को अमल में लाने के लिए देश की संचित निधि से 110 लाख करोड़ रुपये निकालने के लिए अधिकृत करने का प्रावधान है। इसके साथ 2020-21 के बजट को मंजूरी देने की दो-तिहाई प्रक्रिया पूरी हो गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को पेश बजट पर लोकसभा और राज्यसभा ने मौजूदा सत्र के पहले चरण में चर्चा की। सत्र के दूसरे हिस्से में सोमवार को लोकसभा ने विनियोग विधेयक को पारित किया है। तीसरे चरण में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी और उसे मंजूरी दी जाएगी। वित्त विधेयक में कर प्रस्तावों का ब्योरा होता है। लोकसभा

संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में बोलतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

में पारित विनियोग विधेयक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 110.4 लाख करोड़ रुपये के व्यय के लिए सरकार को मंजूरी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों को मंजूरी देने के लिए सदन में 'गिलोटिन' का रास्ता अपनाया। दरअसल अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए संसद के पास समय नहीं होता है। ऐसे में कुछ ही मंत्रालयों के खर्च या अनुदान मांगों को ही पहले से निर्धारित समय पर चर्चा के लिए रखा जाता है। इसके पूरा होने के बाद अन्य मंत्रालयों की अनुदान मांगों को एक साथ रखकर इसे पारित कराया जाता है जिसे गिलोटिन कहते हैं। आम बजट पारित कराने के दौरान इस प्रक्रिया का उपयोग सामान्य है। लोकसभा अध्यक्ष के गिलोटिन के उपयोग से सभी लंबित अनुदान मांगों को मतदान के लिए रखा जाता है और उसे पारित कर दिया जाता है। भले ही उस पर चर्चा हुई हो या नहीं। उसके बाद इससे संबंधित विनियोग विधेयक को विचार और पारित किया जाता है। इस साल निचले सदन में रेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय से जुड़े अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई और इन्हें मंजूरी दी गई। इसके बाद बजट से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी अनुदानों की बकाया मांगों को 'गिलोटिन' के जरिये मंजूरी के लिए रखा गया। वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक सदन में रखा जो ध्वनि मत से पास हो गया। अब लोकसभा वित्त विधेयक पर चर्चा करेगी। इसके पारित होने के साथ बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विनियोग व वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक माना जाता है जिसे राज्यसभा से मंजूरी की जरूरत नहीं होती। रास उस पर सिर्फ चर्चा करती है और चर्चा के बाद उसे लोकसभा को लौटा देती है।

सुप्रीम कोर्ट से नवलखा और तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

तीन हफ्तों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश, पासपोर्ट भी जमा कराने होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले से जुड़े गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने दोनों को तीन हफ्तों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके बाद उन्हें उनके पासपोर्ट भी जमा कराने के लिए कहा। छह मार्च को अदालत ने दोनों को 16 मार्च तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। पुणे की सत्र अदालत से याचिकाएं खारिज होने के बाद तेलतुंबडे और नवलखा ने पिछले साल नवंबर में हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। एक जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव में हिंसा के बाद पुणे पुलिस ने नवलखा, तेलतुंबडे और कई अन्य के खिलाफ माओवादियों से संबंध और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। सभी आरोपितों ने आरोपों से इन्कार किया है।

न्यायाधीशों ने खुद को कर लिया था अलग : इससे पहले बांबे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा की एफआइआर को खत्म करने की अपील खारिज कर दी थी जिसको चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

कोर्ट के न्यायाधीश एस. रवींद्र भट्ट सहित जजों ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। जस्टिस भट्ट पांचवें ऐसे जज हैं जिन्होंने इस मामले से खुद को अलग किया था। गौतम के मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, विनीत सरन और एस. रवींद्र भट्ट शामिल थे। इससे पहले एक अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इस पीठ में जस्टिस एनवी रमना, सुभाष रेड्डी और बीआर गवई शामिल थे।

सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची गहलोत सरकार

जागरण संवाददाता, जयपुर : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीएए की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। इसमें सीएए कानून को रद करने का आग्रह किया गया है। केरल और पंजाब के बाद इस तरह की याचिका दायर करने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य है। सरकार ने सीएए कानून को संविधान के खिलाफ बताया है।

याचिका में कहा गया है कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह कानून अनुचित और तर्कहीन है, क्योंकि यह धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करता है। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 131 एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने का अधिकार देता है। वहीं, एजेंसी के अनुसार, तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सीएए में संशोधन कर उससे धर्म और देश के संदर्भ को हटाने का अनुरोध किया गया है।

तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विवि बनाने का रास्ता साफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के तीन संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। इसके मिलते ही तीनों संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा। तीनों ही संस्थानों को अभी डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त है।

राज्यसभा में इस विधेयक को वैसे तो दो मार्च को ही पेश कर दिया गया था। लेकिन हंगामे के चलते बाद में इसे रोक दिया गया था। सोमवार को इस पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वह सभी भाषाओं को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि देश में संस्कृत से हमारा जुड़ाव काफी पुराना है।

मौजूदा समय में भी देश भर में करीब पांच करोड़ लोग किसी न किसी रूप में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। चर्चा में कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश, पीएल पूनिया, सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव

रमेश पोखरियाल निशंक (फाइल)

आदि ने हिस्सा लिया। जबकि भाजपा की ओर से अशोक वाजपेयी, सुब्रमण्यम स्वामी आदि ने हिस्सा लिया। डीएमके ने इस विधेयक का यह कहते हुए विरोध किया कि यह तमिल के खिलाफ है। वहीं वाइको ने इसे मृत भाषा कहा।

विधेयक के जरिए जिन तीन संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मंजूरी दी है, उनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली (स्थापना 1970 में), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली (स्थापना 1962 में) और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति (स्थापना 1961 में) शामिल है।

आरएफआइडी का असर

ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में दी रिपोर्ट में किया दावा, 13 बॉर्डरों पर लागू है यह व्यवस्था, नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में 87 से 95 फीसद तक की कमी आई है

दिल्ली में 95 फीसद घटा ट्रकों से होने वाला प्रदूषण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दावा किया है कि दिल्ली के 13 बॉर्डरों पर आरएफआइडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन) लागू होने के बाद प्रदूषण के कण 95 फीसद तक कम हो गए हैं। ईपीसीए ने इस तरह का आंकलन पहली बार जारी किया है और अपनी रिपोर्ट भी सीधे सुप्रीम कोर्ट को दी है। इस रिपोर्ट में ईपीसीए ने बताया कि 2015 के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में खासी गिरावट आई है।

इन सभी 13 बॉर्डरों पर हल्के और भारी माल वाहक ट्रकों से होने वाले नॉक्स (नाइट्रोजन ऑक्साइड) के स्तर में 87 से 95 फीसद तक की कमी आई है। यह रिपोर्ट 1 दिसंबर 2019 से 1 जनवरी 2020 और जून, जुलाई 2015 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। 2015 के आंकड़े सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) और 2019-20 के आंकड़े दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 13 बॉर्डरों से आरएफआइडी के बाद

प्रतीकात्मक

ट्रकों की संख्या में भी काफी कमी आई है। 2015 के मुकाबले 2019-20 में हल्के माल वाहक ट्रकों से पार्टिकुलेट मेटर में 95 फीसद की कमी आई और भारी माल वाहक ट्रकों में भी यह कमी 95 फीसद की रही।

दूसरी ओर 2015 के मुकाबले 2019-20 में हल्के माल वाहक ट्रकों से निकलने वाले नॉक्स में 94 फीसद और भारी माल वाहक ट्रकों से निकलने वाले नॉक्स में 87 फीसद की कमी आई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2015 में इन 13 बॉर्डरों से 22 हजार से 38 हजार ट्रक दिल्ली में आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या महज 25 सौ से 3 हजार तक रह गई है।

आरएफआइडी फेज दो पर काम शुरू करने का सुझाव

इसी आंकलन के आधार पर ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआइडी) फेज दो पर काम शुरू किया जा सकता है। इस पर कुल 36 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे दिल्ली के सभी 133 प्रवेश द्वारों पर आरएफआइडी लागू हो जाएगा। फेज-2 में 10 बड़े प्रवेश द्वारों पर आरएफआइडी बूथ और 101 पर हैंडहेल्ड डिवाइस लगाया जाएगा। आरएफआइडी फेज-1 में दिल्ली के सबसे बड़े 13 बॉर्डरों को कवर किया गया है, जिस पर कुल 80.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

कर निर्धारण में गड़बड़ी, आयकर अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोक लेखा समिति (पीएसी) ने सोमवार को आयकर विभाग के उन अफसरों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है, जिन्होंने डॉक्टरों को मिलने वाले उपहार और दूसरे मुफ्त सामान के कर निर्धारण में अनियमितता बरती। इससे विभाग को 55.10 करोड़ रुपये के कर का चूना लगा है।

अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति की तरफ से संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार, 'हमें बताया गया है कि 36 में से 12 मामलों में कर निर्धारण करने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। इन मामलों में विभाग ने ऑडिट आपत्ति स्वीकार की है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ त्वरित व शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरों से स्पष्टीकरण लिए जाने से ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगेगी।' समिति ने पूर्व में पाया था कि सात राज्यों के 36 मामलों में नियम दरकिनार कर विभाग को 55.10 करोड़ का चूना लगाया गया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी